न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
जमाबन्दी रद्दीकरण अपील वाद संख्या–56/2015
मो0 अली एवं अन्य –बनाम– अब्दुल वहाब

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
08.01.2019	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी रद्दीकरण अपीलवाद अपर समाहर्त्ता, दरभंगा के जमाबन्दी रद्दीकरण वाद सं0–40/12–13 में दिनांक 09.04.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए निम्न् न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने एवं विपक्षी को सूचना निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया। तदालोक में निम्न् न्यायालय का अभिलेख एवं विपक्षी का प्रत्युत्तर प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् वाद म्युनिस्पिल खेसरा नं0–22596, रकबा–01कट्ठा 09धुर 77धुरकी, मुहल्ला मुल्ला हलीम खाँ उर्फ बाजार फकीरा खाँ, वार्ड नं0–24 पुराना, 30 नया जिला–दरभंगा से संबंधित है, जो वली मोहम्मद के नाम से खतियान में दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त खतियानी रैयत के वंशज मो0 रिजवान अख्तर एवं अन्य व्यक्ति मो0 फरमूद वल्द कुदरत मोमिन के द्वारा एक हकियत वाद सं0–198/62 दायर किया गया, जिसमें पारित आदेश 105–29/1966–68 दायर किया गया। हकीयत अपीलवाद में पारित आदेश दिनांक 13.01.1970 से प्रश्नगत् भूमि का कुल रकबा 01कट्ठा 09धुर 77धुरकी से विधिवत डिग्री बनाई गयी। उक्त 01कट्ठा 09धुर 77धुरकी में से 05धुर 15 धुरकी उक्त मो0 फरमूद वल्द कुदरत मोमिन की थी। माननीय व्यवहार न्यायालय, दरभंगा के द्वारा पारित आदेश के आलोक में खतियानी रैयत को मात्र 01कट्ठा 04धुर 26धुरकी ही शेष भूमि बची, जबकि प्रत्यर्थी के द्वारा चार निबंधित केवाला दिनांक 18.06.82, 22.06.82, 06.10.82 एवं 23.08.82 से 01कट्ठा 11धुर 85धुरकी भूमि का क्रय बताया जाता है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि खतियानी रैयत के वंशज अब्दुल्लाह भी अपने शेयर की भूमि 05धुर एक हीरा साह के नाम बेच दिये हैं। राजस्व अभिलेख के अनुरूप कथित जमाबन्दी सं0–40 जो प्रत्यर्थी के नाम अंकित है, का आधार तत्व भी रजिस्टर–II में अंकित नहीं है और न ही कुल रकबा दर्शाया गया है। जबकि जमाबन्दी सं0–54 जो हफीज चुरिहारा के नाम कायम है, का रजिस्टर II में स्पष्ट आधार तत्व एवं रकबा अंकित है। उक्त जमाबन्दी सं0–54 से 07धुर जमीन का दाखिल खारिज वाद सं0–99/71–72 से खारिज करते हुए मो0 सालेह के नाम पर	

जमाबन्दी सं0–60 कायम किया गया। प्रत्यर्थी को निम्न् न्यायालय में मो0 सालेह को भी पक्षकार बनाना चाहिये, जो कि नहीं बनाया गया है। अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा उक्त अभिलेख आधारित तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है, जिसे खारिज करने की कृपा की जाय।

प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा पारित आदेश अभिलेख आधारित तथ्यों के अनुरूप एक विधि सम्मत् आदेश है। उक्त के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त हकीयत अपीलवाद सं0–105–29/1966–68 में पारित आदेश दिनांक 13.01.1970 के अनुपालन हेतु एक इजराय वाद सं0–28/1981 दायर किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर मो0 जमील अख्तर एवं अन्य को दिनांक 09.06.1982 को दखल दिहानी करा दिया गया। उक्त दखल दिहानी से प्राप्त भूमि को खतियानी रैयत वली मोहम्मद के वारिसान जमील अख्तर एवं अन्य के द्वारा कुल चार निबंधित केवाला प्रत्यर्थी मो0 वहाब के पक्ष में निष्पादित किया गया। दखल कब्जा को सही पाते हुए प्रत्यर्थी के नाम जमाबन्दी सं0–40 कायम की गयी। तदालोक में प्रत्यर्थी के द्वारा वर्ष 2014–15 तक का राजस्व लगान सरकार को अदा की गयी है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत् भूमि खेसरा सं0–22596 से नया सर्वे खेसरा सं0–949 क एवं ख मकान मय सहन अंकित करते हुए प्रत्यर्थी के नाम खाता वर्त्तमान हाल सर्वे खतियान में अंकित है। अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा के प्रतिवेदन पत्रांक 1628 दिनांक 09.10.2014 से प्रत्यर्थी का वास्तविक दखल कब्जा बताया गया है। उक्त सभी तत्वों की विवेचना करते हुए अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलावाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि बहस के सामान्य अनुक्रम में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा यह तथ्य बताया गया है कि प्रश्नगत् वाद में सन्निहित भूमि से संबंधित एक स्वत्ववाद सं0–537/2015 माननीय न्यायालय में लंबित है। अतः विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा कथित कथन के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक 1628 दिनांक 09.10.2014 जो निम्न् न्यायालय के अभिलेख पर संधारित है, का भी अवलोकन किया। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रत्यर्थी का दखल कब्जा बताया गया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक 1628 दिनांक 09.10.2014 से जमाबन्दी सं0–54 को दृष्टव्य में लाया गया है जबकि अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा उक्त जमाबन्दी संख्या–54 को खारिज करने का आदेश पारित किया गया है, जिसका नियामक स्वत्व अपीलवाद संख्या–105–29/1966–68 तथा इजराय वाद सं0–28/81 अंकित

किया गया है। वर्त्तमान समय में भी प्रश्नगत् भूमि से संबंधित विवाद का स्थाई निराकरण हेतु एक स्वत्व वाद सं0–537/2015 सक्षम न्यायालय में लंबित है। उक्त अभिलेख संधारित तथ्यों के अनुरूप जबकि मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना यथोचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अंकनीय है कि माननीय व्यवहार न्यायालय, दरभंगा द्वारा पारित आदेश के फलाफल के आधार पर प्रश्नगत् जमाबन्दी सं0–54 एवं जमाबन्दी सं0–40 की वैधानिकता मान्य व प्रभावी होगी। अपीलवाद स्वीकृत।

आदेश की प्रति तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को भेजें।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

08/07/19
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।